

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 11 / 2022

दायर दिनांक 15.07.2022

छगनलाल	उनवान बनाम	तहसीलदार
--------	---------------	----------

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक: 28.09.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित/पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया, जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के नाम ना. से 104 दिनांक 27.11.2004 को जरिये विक्रय से ग्राम चौथपुरा के आ.सं. 456 रकबा 0.83 हैक्टेयर में श्री छगनलाल, लोभचन्द पिता दौलतराम जाट सा. देह के नाम भूमि दर्ज हो चुकी थी, जिसका नवीन रोटेशन 2059-62 के खाता संख्या 21 पर अमल हो चुका था। सहवन से जाति छूट गई थी, जो जरिये शुद्धि पत्र से तहसीलदार स्तर से शुद्धि होनी थी परन्तु प्रार्थी द्वारा धारा 136 L.R.Act में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत है, प्रकरण धारा 136 से पोषित नहीं होता है। प्रकरण में पटवारी की लिपिकीय भूल है, जो नियम 166 लेण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 से पोषित होता है। अतः पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रकरण धारा 136 के तहत पोषित नहीं होने तथा नियम 166 लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के तहत शुद्धि पत्र से तहसीलदार के स्तर से निस्तारण का होने से ड्रॉप किया जाता है, तदनुसार प्रार्थीगण तहसीलदार स्तर पर कार्यवाही करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर